

डेटा पॉइंट: न्याय में देरी का गणति

संदर्भ

वर्तमान में भारत की नचिली अदालतों में लगभग तीन करोड़ (2,91,63,220) मामले लंबति हैं। न्यायाधीशों की उच्च रकित्तियों तथा आबादी की तुलना में न्यायाधीशों की कम संख्या वाले राज्यों जैसे- उत्तर प्रदेश, पश्चिमि बंगाल और बहिर में लंबति मामलों की संख्या सबसे अधिक है।

//

■ लंबति मामलों का ब्योरा (14 दसिंबर, 2018 का आँकड़ा) इस प्रकार है-

- ◆ कुल सविलि मामले= 84,57,325
- ◆ कुल क्रमिनिल मामले= 2,07,05,895
- ◆ 1 वर्ष से अधिक पुराने कुल मामले= 2,12,26,105

■ नीचे दिया गया ग्राफ 'प्रतन्यायाधीश लंबति मामलों की संख्या' तथा 'प्रतलाख न्यायाधीशों की संख्या' के बीच आरेखति है।




■ कम न्यायाधीश, ज़्यादा लंबति मामले

◆ उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान और केरल ऐसे राज्य हैं जहाँ न्यायाधीशों की संख्या तथा लंबति मामले सीधे जुड़े हुए हैं। अर्थात् ऐसे राज्यों में लंबति मामलों की संख्या अधिक होने का मुख्य कारण न्यायाधीशों की संख्या कम होना है। उत्तर प्रदेश में प्रतिन्यायाधीश लगभग 3,500 मामले लंबति हैं।

■ ज़्यादा न्यायाधीश, कम लंबति मामले

◆ पंजाब, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, सिकिम और मज़ोरम ऐसे राज्य हैं जहाँ न्यायाधीशों की संख्या तथा लंबति मामले सीधे जुड़े हुए हैं। अर्थात् ऐसे राज्यों में लंबति मामलों की संख्या कम होने का मुख्य कारण न्यायाधीशों की संख्या अधिक होना है।

■ दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहाँ न्यायाधीशों की संख्या अधिक होने के बावजूद लंबति मामलों की संख्या ज़्यादा है।



- जबकि मेघालय, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहाँ न्यायाधीशों की संख्या कम होने के बावजूद लंबति मामलों की संख्या कम है।



